क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 23 | दिसंबर 1-15, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

दिल्ली की सरहदों पर चले किसानों के विरोध धरने की दूसरी वर्षगांठ

दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसानों के धरने को शुरू करने के पूरे दो साल हो गये हैं। देशभर के किसानों ने राजधानी दिल्ली के आसपास 26 नवंबर, 2020 को शुरू किये गये अपने ऐतिहासिक विरोध की दूसरी वर्षगांठ के अवसर को चिन्हित करने का फ़ैसला किया है। इस दिन हर राज्य की किसान यूनियनें राजभवन के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी। राज्य के राज्यपाल का ऐसा पद होता है जो केंद्र सरकार के आदेश का पालन करता है।

किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दिसंबर 2021 में किए गए अपने वादों को पूरा करे, जिन वादों के आधार पर उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा अपना धरना स्थगित कर दिया था। तीन किसान विरोधी क़ानूनों को रद्द करने के बाद, उस समय केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन की अन्य प्रमुख मांगों के बारे में भी उचित कार्यवाही करने का वादा किया था, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर सभी कृषि उपजों की ख़रीद की गारंटी देना और इजारेदार पूजीपतियों के हित में लाये गये जन-विरोधी बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना भी शामिल था।

दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा आयोजित किये गये विरोध धरने का एक ऐतिहासिक घटना बन जाने का मूल कारण यह है कि देशभर की 500 से अधिक किसान यूनियनों ने मिलकर अपनी सांझी मांगों के लिए एकजुट संघर्ष किया। उन्होंने टाटा, अंबानी, बिड़ला, अडानी और अन्य इजारेदार कॉरपोरेट घरानों के नेतृत्व वाले इजारेदार पूंजीपति वर्ग के उदारीकरण के एजेंडे के ख़िलाफ़, लोगों की आजीविका को सुरक्षित करने के अपने अधिकार की मांग करने का साहस किया।

पूंजीपतियों की पार्टियां यह भ्रम फैलाती हैं कि अगर चुनावी प्रक्रिया से भाजपा को हटा दिया जाए तो पूंजीवाद के लिए सभी किसानों को सुरक्षित आजीविका प्रदान करना संभव है। श्रमजीवी वर्ग की राजनीतिक पार्टी इस सच को स्पष्ट करती है कि पूंजीवाद आज अत्यधिक इजारेदारी के चरण में पहुंच गया है और यह किसानों व अन्य सभी छोटी संपत्ति के मालिकों को अनिवार्य रूप से नष्ट कर देगा।

किसानों और उनकी ट्रैक्टर-ट्रालियों को पंजाब-हरियाणा की सीमाओं को पार करने से रोकने के लिए, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने सड़कों को खोद डाला और बैरिकेड्स लगा दिए। इसके बावजूद, पंजाब और हरियाणा के किसान परिवारों के युवाओं ने झुकने से इनकार कर दिया। वे किसी भी क़ीमत पर दिल्ली पहुंचने के लिए दृढ़संकल्प थे और वे अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार करते हुए बहादुरी से आगे बढ़े। उनके इस फ़ैसले ने उत्तर प्रदेश के किसानों को भी प्रेरणा दी, जिन्होंने गाज़ीपुर में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक विरोध स्थल स्थापित किया। राजस्थान के किसानों ने शाहजहाँपुर में राजस्थान हरियाणा की सीमा पर एक विरोध स्थल बनाया।

किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को एक विशाल विरोध शिविर के स्थान में बदल दिया, जो लगभग पूरे एक साल तक चला। देशभर के किसान संगठनों ने अपने प्रतिनिधिमंडलों को इन विरोध स्थलों पर भेजा। मज़दूरों, महिलाओं और नौजवानों ने किसान आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गांवों के निवासी प्रतिदिन ट्रकों में भरकर खाद्यान्न, सब्जियां और फल लाते थे।

विरोध स्थलों पर उनके रहन-सहन और कार्य-शैली ने मज़दूरों और किसानों की, संगठनात्मक क्षमता की एक जबरदस्त मिसाल पेश की, जब वे अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए एकजुट हुए। इन विरोध स्थलों पर शिविर लगाने वालों की सभी आवश्यकताओं की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए आयोजन समितियां बनाई गयी थीं। बच्चों के लिए स्कूल, सभी के लिए पुस्तकालय और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सक दल उपलब्ध कराये गए थे। विरोध स्थलों पर जाने वाली महिलाओं ने बताया कि सरमायदारों के मौजूदा शासन के तहत उन्होंने किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर अपने को इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं किया था।

उस ऐतिहासिक आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ और उस घटनाक्रम को मुड़कर देखने और उसके द्वारा हासिल किये गए मूल्यवान अनुभव और सीखे गए सबकों की समीक्षा करने का यह उपयुक्त समय है। आगे आने

शेष पृष्ठ 4 पर

मुंबई में 26 नवंबर के आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर :

मक़सद क्या था और असली मास्टरमाइंड कौन था?

26 नवंबर, 2022 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 14वीं बरसी है। भारी हथियारों से लैस दस आतंकवादियों ने लगातार तीन रात और दिन तक शहर में जबरदस्त तबाही मचाई। उनके निशाने पर थे - छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस और मेट्रो सिनेमा। इस हमले में 25 विदेशियों सहित 168 लोगों की जानें चली गईं।

हिन्दोस्तानी राज्य की आधिकारिक टिप्पणी यह है कि ये हमले लश्कर-ए-तैयबा नाम के एक पाकिस्तानी आतंकवादी गिरोह द्वारा आयोजित किए गए थे। इसे कैसे और किसके द्वारा अंजाम दिया गया, इसकी पूरी कहानी अमरीकी खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी पर आधारित है। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, डेविड हेडली नामक एक व्यक्ति के खुलासे पर आधारित है, जिसे पहले कई बार अमरीकी एजेंसियों द्वारा गिरफ़्तार किया गया था और कथित रूप से जेल से इसलिए रिहा कर दिया गया था, क्योंकि वह एक उपयोगी मुखबिर बनने के लिए राज़ी हो गया था। (देखें बॉक्स : पृष्ठ 2 पर)

सच तो यह है कि अमरीकी एजेंसियों द्वारा जो कुछ भी बताया गया था, उसे ही हिन्दोस्तानी अधिकारी दोहराते आये हैं, और इसलिए इस आधिकारिक बयान पर कई सवाल उठने लाजमी हैं। जिस राजनीतिक संदर्भ में ये हमले हुए थे, उसके निष्पक्ष विश्लेषण से पता चलता है कि इन हमलों के लिए अभियुक्त के रूप में अमरीकी साम्राज्यवादी स्वयं कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं।

संक्षेप में, भू-राजनीतिक संदर्भ और जो कुछ भी सबूत उपलब्ध हैं, वे सब इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि 26 नवंबर को मुंबई में हुआ, आतंकी हमला अमरीका की खुफिया एजेंसियों द्वारा अपने भू-राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए झूठे झंडे तले आयोजित किया गया एक ऑपरेशन था।

राजनीतिक सन्दर्भ

9 नवंबर, 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के बाद, अमरीका द्वारा पूरी दुनिया पर अमरीकी साम्राज्यवाद की दादागिरी स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए, तथाकथित आतंकवाद के ख़िलाफ़ युद्ध का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्दाफ़ाश हो रहा था। इराक पर अमरीका द्वारा किये गये आक्रमण के लिए जो दलील पेश की गयी थी कि, सद्दाम हुसैन के शासन के पास सामूहिक विनाश के हथियारों का भंडार है, "जानबूझकर फैलाये गए इस झूठ" का बड़े ही स्पष्ट तरीके से पर्दाफ़ाश भी हो गया था। जर्मनी, फ्रांस, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान सहित कई देशों ने इराक के ख़िलाफ़ अमरीकी नेतृत्व वाले "इच्छुक गठबंधन" में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अफ़गान लोगों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को एक सैन्य संचालन केन्द्र के रूप में इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध बढ़ रहा था। संक्षेप में देखा जाये, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमरीका अपने मक़सद को हासिल करने में अकेला पड़ रहा था।

यह एक ऐसा समय था जब दक्षिण एशिया में, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान की सरकारें अपने बीच के मतभेदों को ख़त्म

शेष पृष्ठ 2 पर

अंदर पढ़ें

- पाठकों की प्रतिक्रिया 2
- बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों का विशाल विरोध प्रदर्शन 3
- बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष ज़िन्दाबाद! 3
- पंजाब में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया 4
- किसान आंदोलन-चुनौतियां और आगे का रास्ता 5

मुंबई 26/11 का आतंकी हमला

पृष्ठ 1 का शेष

करने और अपने अनसुलझे विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही थीं। लोगों को यह भी याद होगा कि जिस दिन मुंबई में आतंकवादी हमले शुरू हुए थे, उस दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बातचीत के लिए, नई दिल्ली में ही उपस्थित थे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिन्दोस्तान और पाकिस्तान ने अपने देशों के बीच चले आ रहे अनसुलझे विवादों को सुलझाने की जब–जब कोशिश की है। तब–तब अमरीका ने गुप्त रूप से किसी न किसी तरह इन प्रयासों को विफल करने का काम किया है और इस प्रकार पूरे दक्षिण एशिया को अपने प्रभुत्व में लाने के उद्देश्य से, दक्षिण एशिया में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए, अमरीका ने अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया है।

2008 में मुंबई में हुये आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद, बराक ओबामा ने, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित किया गया था, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एक प्रचार अभियान चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद के स्रोत के रूप में पेश किया गया था। अमरीकी सशस्त्र बलों ने, पाकिस्तान की धरती पर कई ड्रोन हमले भी किए थे जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे।

इस हक़ीक़त पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि जुलाई 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के ख़िलाफ़ एक अविश्वास मत ने, हिन्दोस्तान और अमरीका के परमाणु समझौते पर हिन्दोस्तान की संसद में मौजूद मतभेद को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया था। मुंबई में हुये आतंकवादी हमले ने संयुक्त राज्य अमरीका और हिन्दोस्तान के बीच एक रणनीतिक सह–सैन्य गठबंधन को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। तब से अमरीका ने हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुक़ाबला करने के लिए क्वाड गठबंधन में हिन्दोस्तान को एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में शामिल किया है।

संक्षेप में, भू–राजनीतिक संदर्भ और जो कुछ भी सबूत उपलब्ध हैं, वे सब इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि 26 नवंबर को मुंबई में हुआ, आतंकी हमला अमरीका की खुफिया एजेंसियों द्वारा अपने भू–राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए झूठे झंडे तले आयोजित किया गया एक ऑपरेशन था।

यदि इस बात को सच भी मान लिया जाये कि मुंबई हमले के आतंकवादी पाकिस्तान से मुंबई आए थे, फिर भी झूठ के झंडे तले किये गये इस ऑपरेशन के लिए ज़िम्मेदार, अमरीका एक प्रमुख संदिग्ध होने के अपराध से मुक्त नहीं हो जाता। यह सर्वविदित है कि संयुक्त राज्य अमरीका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सी.आई.ए.), पाकिस्तान में अधिकांश आतंकवादी गिरोहों की निर्माता और प्रायोजक है। सी.आई.ए. ने अस्सी के दशक में सोवियत सशस्त्र कब्ज़े के ख़िलाफ़ अफ़गान लोगों के संघर्ष में घुसपैठ करने के लिए, ऐसे गिरोह बनाए थे। सोवियत संघ के पतन के बाद, अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए अमरीका ने दुनिया के विभिन्न देशों और क्षेत्रों में – यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में तथा स्वयं अमरीका में भी इन गिरोहों का इस्तेमाल किया है।

हिन्दोस्तानी राज्य ने 26 नवंबर को हुये आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके अपने दमनकारी राज्य–तंत्र को मजबूत करते हुये, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने वाले कठोर क़ानूनों से खुद को लैस किया है।

हिन्दोस्तान में राजकीय आतंकवाद का बढ़ना

हिन्दोस्तानी राज्य ने 26 नवंबर को हुये आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके अपने दमनकारी राज्य–तंत्र को मजबूत करते हुये, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करने वाले कठोर क़ानूनों से खुद को लैस किया है।

26 नवंबर को हुये हमलों के तुरंत बाद, मनमोहन सिंह की यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) की स्थापना की थी। उस सरकार ने गैरक़ानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) में संशोधन पारित किया। इस संशोधन ने यू.ए.पी.ए. क़ानून को टाडा और पोटा से भी ज्यादा कठोर बना दिया।

आतंकवाद को कुचलने के नाम पर पंजाब में टाडा लागू किया गया था। टाडा के ख़िलाफ़ लोगों के शक्तिशाली विरोध के चलते टाडा को रद्द करना पड़ा। दिसंबर 2001 में संसद पर हुये आतंकवादी हमले के बाद पोटा को लागू किया गया था। बड़े पैमाने पर हुये विरोध के मद्देनज़र बाद में पोटा क़ानून को भी रद्द करना पड़ा था।

पिछले 14 सालों से राजनीतिक विरोधियों को सज़ा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एन.आई.ए. का इस्तेमाल और भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यू.ए.पी.ए. का इस्तेमाल उन लोगों को आतंकित करने और सज़ा देने के लिए किया जाता है जो राजकीय आतंकवाद का विरोध करते हैं और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। यू.ए.पी.ए. क़ानून, सालों तक बिना किसी चार्जशीट के और बिना किसी मुकदमे के, लोगों को जेल में कैद रखने की शक्ति राज्य को प्रदान करता है। जेल में बंद लोगों को रिहा होने के लिए खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है। इस क़ानून के तहत, लोगों के लिए इंसाफ और अधिकारों के लिए लड़ने वाले हजारों लोग, वर्षों से जेलों में सड़ रहे हैं।

निष्कर्ष

अमरीकी साम्राज्यवाद मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन और दुनिया में आतंकवाद का स्रोत है। हिन्दोस्तान में सभी प्रगतिशील ताक़तों को एकजुट होना चाहिए और हिन्दोस्तान व अमरीका के बीच ख़तरनाक सैन्य सह–रणनीतिक गठबंधन को ख़त्म करने के लिए लड़ना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में अमरीकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप समाप्त हो, इसके लिये पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के लोगों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22786

बॉक्स : अमरीकी खुफिया एजेंसियों का खुलासा

2009 के अंत में मुंबई में हुये आतंकवादी हमलों के एक साल बाद, अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि उन्होंने डेविड हेडली नामक एक व्यक्ति को अभी–अभी गिरफ़्तार किया है, जिसने मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एजेंट ने खुलासा किया कि आतंकवादी हमले कैसे आयोजित किए गए थे और उसके आयोजक कौन थे।

अमरीका के अनुसार, यह व्यक्ति उनके उन एजेंटों में से एक था जिसे अमरीका ने पाकिस्तान में विभिन्न आतंकवादी गिरोहों के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। यह एजेंट कथित रूप से अमरीका के ख़िलाफ़ हो गया था। अमरीका ने पूछताछ करने के लिए उसे हिन्दोस्तानी खुफिया एजेंसियों को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस बात ने इस धारणा को भी मजबूत किया कि मुंबई में हुये आतंकवादी हमले के आयोजन में अमरीका अपना हाथ छुपाना चाहता था, इसलिए अमरीका ने उसका दोष पाकिस्तान पर थोप दिया था।

पाठकों की प्रतिक्रिया

पूंजीवाद श्रमशक्ति का विनाश करता है!

संपादक महोदय,

मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपने 16–30 नवंबर 2022 के मज़दूर एकता लहर के अंक में, नौकरियों के विनाश के बारे में लेख छापा। अलग–अलग क्षेत्र के उदाहरण लेकर इस लेख में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि नौकरियों के नष्ट होने का असली कारण पूंजीवादी लालच है।

डेढ़ सौ साल पहले ही कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के वैज्ञानिक विश्लेषण से समझाया था कि पूंजीवादी मुनाफ़े का स्रोत मज़दूरों के शोषण में है। किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें लगे सामाजिक तौर पर जरूरी श्रम से निर्धारित होता है। एक मज़दूर की श्रमशक्ति जिस मूल्य का निर्माण करती है वह उसको दिये वेतन से कहीं अधिक होता है। एक मज़दूर द्वारा निर्मित मूल्य और पूंजीपति मालिक द्वारा उस मज़दूर को दिये गये वेतन का अंतर बेशी मूल्य को परिभाषित करता है। बेशी मूल्य से ही पूंजीवादी मुनाफ़ा बनता है। अर्थात, मज़दूरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के कुल मूल्य के एक हिस्से से पूंजीपति मालिक उनके वेतन का भुगतान करता है और बाकी से मुनाफ़ा बनाता है। जाहिर है कि अगर मुनाफ़े को अधिकतम करना है तो पूंजीपति मज़दूरों को कम से कम वेतन देगा। बेशी मूल्य और मज़दूर के वेतन का अनुपात पूंजीवादी शोषण का माप होता है।

एक पूंजीपति जब किसी मज़दूर को नौकरी पर रखता है तब, आम तौर पर, वह मज़दूर को सिर्फ इतना ही वेतन देता है जिससे मज़दूर और उस पर आश्रित परिजन जैसे–तैसे जीवित रह सकें और उस तरह के मज़दूर की नयी पीढ़ी तैयार कर सकें।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास से श्रमशक्ति की उत्पादकता बढ़ती है। नई टेक्नॉलॉजी के इस्तेमाल से किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिये ज़रूरी श्रम की मात्रा घट जाती क्योंकि एक मज़दूर उतने ही समय में ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करता है या ज्यादा मात्रा में सेवा प्रदान करता है। हालांकि एक पूंजीपति को नयी टेक्नॉलॉजी की मशीनों के लिये अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, परन्तु उत्पादन की मशीनों पर लगाई जाने वाली पूंजी उस मशीन से निर्मित वस्तुओं की बिक्री से पूंजीपति के पास वापस आ जाती है।

नई टेक्नॉलॉजी या ऑटोमेशन करने के बाद, पूंजीपति या तो पहले जितने मज़दूरों से अधिक उत्पादन कर सकता है या पहले जितने उत्पादन करने के लिये कुछ मज़दूरों की छंटनी कर सकता है। वह इन दोनों के बीच का रास्ता भी अपना सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपना कितना उत्पादन बाज़ार में बेचने का अनुमान लगाता है।

ज्यादा उत्पादन करने से पूंजीपति का मुनाफ़ा अधिक होगा अगर वह अपने पूरे उत्पादन को बेचने में सफल होता है। परन्तु पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अराजकता होती है। उत्पादन व सेवाओं की उपलब्धी समाज के स्तर पर योजनाबद्ध नहीं होती है और इसीलिये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरे माल का बिकना सुनिश्चित नहीं होता है। इसके साथ ही अधिकांश मज़दूरों की माल खरीदने की क्षमता बहुत ही सीमित होती है। एक तरफ पूंजीपति वर्ग अपने मुनाफ़े को बढ़ाने के लिये ज्यादा उत्पादन करना चाहता है और दूसरी तरफ अधिकांश लोगों के पास ज्यादा उत्पादन को ख़रीदने की क्षमता नहीं होती है। इस वजह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बार–बार अति उत्पादन का संकट आता रहता है। इसीलिये नयी टेक्नॉलॉजी लगाने वाला पूंजीपति मज़दूरों की छंटनी करता है।

जैसा कि आपके लेख में बताया गया है कि सारे के सारे आई.टी. उद्योग एक के बाद एक अपने कर्मचारियों (अवश्य ही जो मज़दूर वर्ग का हिस्सा हैं) की छंटनी कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मेहनतकश लोग इस छंटनी के पीछे की सच्चाई को समझें कि ऐसा होना पूंजीवाद का अनिवार्य नियम है। इसीलिये वे छंटनी को अलग–अलग नाम देकर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं।

भवदीय,
समीर

बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों का विशाल विरोध प्रदर्शन

23 नवम्बर, 2022 को 'बिजली क्रांति रैली' के झंडे तले देश के कोन–कोने से हजारों बिजली मज़दूर, नई दिल्ली में किये गये विशाल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वे बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 और बिजली आपूर्ति के निजीकरण के सरकार के प्रयासों का विरोध करने के लिये आये थे। विरोध प्रदर्शन का आयोजन नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाईज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) द्वारा किया गया था।

प्रदर्शन स्थल को रंग–बिरंगे बैनरों से सजाया गया था, जिन पर विभिन्न प्रतिभागी केंद्रीय व राज्य स्तर की यूनियनों तथा बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों की फेडरेशनों के नाम लिखे हुये थे। "विद्युत संशोधन विधेयक 2022 मुर्दाबाद!", "बिजली आपूर्ति के निजीकरण के सभी प्रयासों का विरोध करो!", "बिजली कर्मचारियों के जायज़ संघर्ष का समर्थन करो!", "बिजली का निजीकरण समाज के हितों के ख़िलाफ़ है", "बिजली कर्मचारियों का संघर्ष पूरी तरह जायज़ है!", "बिजली एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता और एक सर्वव्यापी मानवाधिकार है!" जैसे नारों वाले सैकड़ों बैनर लगे हुए थे।

मुख्य मंच पर बड़े–बड़े बैनर लगे हुये थे, जिनमें प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें लिखी गई थीं। बिजली मज़दूरों के समर्थन में भाग लेने वाली ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों के बैनर भी लगे हुए थे।

इस प्रदर्शन में जम्मू और कश्मीर, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा सहित केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और पुदुचेरी से भी बिजली मज़दूरों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए।

बिजली मज़दूरों के जुझारू नारों से धरना स्थल गूंज उठा। देश के अलग–अलग क्षेत्रों से आये प्रतिभागियों द्वारा अलग–अलग भाषाओं में नारे लगाए गए, विधेयक को रद्द किए जाने तक संघर्ष में बने रहने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ सभी एकजुट हुए थे।

विरोध प्रदर्शन को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) के महासचिव श्री शैलेंद्र दूबे, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ (ए.आई.एफ.ई.ई.) के राष्ट्रीय सचिव, कॉमरेड कृष्णा भोयर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी. राजा, सीटू के महासचिव कॉमरेड तपन सेन, अखिल भारतीय किसान सभा (ए.आई.के.एस.) के महासचिव कॉमरेड हन्नान मोल्लाह के साथ–साथ संसद के कई सदस्यों ने संबोधित किया।

शेष पृष्ठ 6 पर

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष ज़िन्दाबाद! बिजली का निजीकरण समाज के हितों के ख़िलाफ़ है!

मज़दूर एकता कमेटी का बयान, 23 नवम्बर, 2022

बिजली संशोधन विधेयक 2022 के विरोध में बिजली क्षेत्र के मज़दूर बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में आये हैं। अन्य क्षेत्रों के मज़दूर भी आपके समर्थन में यहाँ मौजूद हैं। बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष, निजीकरण के ख़िलाफ़ देशभर में चल रहे संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मज़दूर एकता कमेटी बिजली क्षेत्र के मज़दूरों के संघर्ष का पूरा–पूरा समर्थन करती है। आपका एकजुट संघर्ष पूरे समाज के हित में एक महत्वपूर्ण क़दम है। मज़दूर एकता कमेटी आपके इस बहादुर संघर्ष को सलाम करती है।

बिजली मानव जीवन की एक मूलभूत ज़रूरत है। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी को उचित दरों पर बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय सप्लाई सुनिश्चित करे। इस मूलभूत आवश्यकता के उत्पादन और वितरण का उददेश्य निजी मुनाफ़ा कमाना नहीं हो सकता। बिजली सप्लाई का निजीकरण, राज्य द्वारा उसके इस कर्तव्य की अवहेलना करने के बराबर है। यह सस्ती दरों पर विश्वसनीय बिजली सप्लाई प्राप्त करने के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है।

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने बहुत ही बहादुरी से संघर्ष करके, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपने की उनकी योजनाओं को रोकने को मजबूर किया है।

जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, उत्तर प्रदेश, चंण्डीगढ़ आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां बिजली वितरण के निजीकरण को रोकने में आपने सफलता हासिल की है।

आपके संघर्ष के चलते, केन्द्र सरकार बिजली (संशोधन) विधेयक को कई बार – 2014, 2018, 2020 और 2021 में – पास कराने में असफल रही। इस साल मानसून सत्र में भी उसे संसद में पास नहीं किया जा सका। अब उस विधेयक को विचार–विमर्श के लिये संसदीय कमेटी को भेज दिया गया है।

1990 के दशक में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न हिन्दोस्तानी और विदेशी निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक बिजली ख़रीद–समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से, बिजली उत्पादन में निवेश करने वाले इजारेदार पूंजीपतियों ने भारी मुनाफ़े हासिल किये। राज्य बिजली बोर्डों को बिजली ख़रीदने के लिए निजी कंपनियों को बहुत भारी क़ीमतें देनी पड़ीं। इसके साथ–साथ, किसानों और शहरी मज़दूरों के लिए बिजली महंगी होती गयी।

बिजली संशोधन विधेयक 2022 के ज़रिये, जनता के पैसे से बनाया गया विशाल वितरण नेटवर्क, जो इस समय राज्य बिजली बोर्डों के नियंत्रण में है, उसे बड़े पूंजीपतियों को लगभग मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र सरकार के प्रवक्ता और विभिन्न पूंजीवादी अर्थशास्त्री यह दावा करते हैं कि बिजली वितरण के निजीकरण से ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों के बीच चयन करने की आज़ादी मिलेगी। उनका दावा है कि यह क़दम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाएगा, जिससे सस्ती दरों पर अधिक कुशल और विश्वसनीय बिजली की सप्लाई होगी।

परन्तु बिजली वितरण के निजीकरण का अब तक का अनुभव इन दावों को पूरी तरह झूठा साबित करता है। उदाहरण के लिए, मुंबई शहर में बिजली की सप्लाई करने वाली दो निजी कंपनियां और एक सार्वजनिक कंपनी है, परन्तु उस शहर में बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में अलग–अलग क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई टाटा और रिलायंस के इजारेदार पूंजीवादी घरानों की मालिकी वाली दो अलग–अलग कंपनियों के नियंत्रण में है। कोई भी अपनी पसंद की बिजली वितरण कंपनी का चयन नहीं कर सकता। सब इस या उस निजी इजारेदार पूंजीवादी कंपनी पर ही निर्भर हैं।

हमारे देश के इजारेदार पूंजीपति समाज के लिए इस बेहद ज़रूरी संसाधन, बिजली पर अपनी इजारेदारी हासिल करके, बेशुमार मुनाफ़े बनाना चाहते हैं। बिजली संशोधन विधेयक का उद्देश्य, निजी कंपनियों के लिए कम जोखिम के साथ, उच्चतम मुनाफ़े कमाने का अवसर पैदा करना है। यह विधेयक निजी पूंजीवादी कंपनियों को बुनियादी ढांचे में अपना पूंजीनिवेश करने की ज़रूरत के बिना, केवल मुनाफ़े कमाने का मौका प्रदान करता है।

बिजली (संशोधन) विधेयक को रद्द करना देश भर के किसानों की एक प्रमुख मांग रही है। किसानों को यह समझ है कि इस विधेयक के पास होने से, उनके पानी के पंप चलाने के लिए बिजली बहुत महंगी हो जाएगी।

बिजली मज़दूरों ने सभी उपभोक्ताओं को बिजली उत्पादन और वितरण, दोनों के निजीकरण के हानिकारक नतीजों के बारे में शिक्षित करने के लिए, कई जागरुकता अभियान चलाये हैं। आज देश के लाखों–लाखों मज़दूर और किसान आपके संघर्ष के समर्थन में आपके साथ खड़े हैं।

1990 के दशक से, सत्ता में आई सभी सरकारों ने निजीकरण के कार्यक्रम को पुरजोर लागू किया है। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिये सरकारों ने अनेक बुनियादी सार्वजनिक संस्थानों और सेवाओं को बड़े सोचे–समझे तरीक़े से कमज़ोर और बीमारू बनाया है, ताकि उनके निजीकरण को न्यायसंगत ठहराया जा सके। रेलवे, बैंक, बीमा, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल., सड़क व विमान परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा, आदि, इन सबके निजीकरण इसी प्रकार से किये जाते रहे हैं। इसी प्रकार केन्द्र सरकारों और राज्य सरकारों ने जानबूझकर राज्यों के बिजली बोर्डों और सरकारी वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है ताकि इन कंपनियों को बेहद कम क़ीमत पर इजारेदार पूंजीपतियों को सौंपा जा सके।

निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष, इजारेदार पूंजीवादी घरानों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ मज़दूरों, किसानों और अन्य मेहनतकश लोगों का संघर्ष है। अधिकतम मुनाफ़े के भूखे, इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने की अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा को बदलना होगा। अर्थव्यवस्था को सभी मेहनतकशों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में संचालित करना होगा। इस नज़रिए के साथ, मजदूरों और किसानों को इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए मज़दूर वर्ग को राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेने और सभी मुख्य उत्पादन के साधनों को समाज की मालिकी में लाने की आवश्यकता है। ऐसा करके ही अर्थव्यवस्था को नयी दिशा, समाज के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा, दिलाई जा सकेगी।

मज़दूर एकता कमेटी बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द करने, बिजली क्षेत्र में निजीकरण की सभी प्रक्रियाओं को रद्द करने, संविदा बिजली कर्मियों को नियमित करने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने, आदि सहित बिजली मज़दूरों की सभी मांगों का समर्थन करती है। हम आपके इस सफलतापूर्वक विरोध प्रदर्शन को बधाई देते हैं।

बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द करो!

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों का संघर्ष ज़िन्दाबाद!

मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकशों की एकता ज़िंदाबाद!

इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

किसानों के विरोध धरने की दूसरी वर्षगांठ

पृष्ठ 1 का शेष

वाले वर्ग संघर्ष की तैयारी के उद्देश्य से मज़दूरों और किसानों के सभी संगठनकर्ताओं को ऐसा करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है इजारेदार घरानों के नेतृत्व वाले सरमायदारों पर जीत हासिल करना। वे महत्वपूर्ण सबक क्या हैं और आगे जीत का रास्ता क्या है?

महत्वपूर्ण सबक

एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि शासक वर्ग हमेशा धर्म, जाति या चुनावी पार्टी की प्रतिद्वंद्विता के आधार पर सांप्रदायिक झगड़े भड़काएगा और साथ ही साथ सच्चाई यह भी है कि सभी संघर्षरत ताक़तों को इस बंटवारे के राजनीतिक और वैचारिक हमले को पूरी तरह से हराना होगा, यह न केवल बहुत ज़रूरी है बल्कि यह हक़ीक़त में मुमकिन भी है।

भाजपा और उसके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को बदनाम करने और लोगों के बीच फूट डालने के लिए दिसंबर 2020 से ही "सिख आतंकवाद" का भूत खड़ा करने की कोशिश की। इसके जवाब में, किसानों ने अपनी उन सभी मुख्य मांगों से ध्यान हटाने से इंकार कर दिया जिनके इर्द–गिर्द वे एकजुट हुए थे। बदनाम होने की बात तो दूर, किसान आंदोलन को न केवल हिन्दोस्तान में बल्कि विदेशों में रहने वाले हिन्दोस्तानियों के बीच भी व्यापक समर्थन मिला। जवाब में, केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 2021 के दिन, एक बहुत ही शैतानी साज़िश का आयोजन किया। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के ट्रैक्टरों को दिल्ली पुलिस द्वारा जानबूझकर लाल किले के आसपास के क्षेत्र में पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया था। वहां पर हिंसा भड़क गई और धार्मिक झंडे को पकड़े हुए, इन सिख प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें मीडिया ने फैलाईं।

सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए गए झूठ, बदनामी, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफ़रत के बावजूद, किसानों ने सीमा स्थलों पर 12 महीने तक अपना धरना जारी रखा।

इसमें एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि दिसंबर 2021 में तीन किसान विरोधी क़ानूनों को निरस्त करने के फ़ैसले के बावजूद शासक वर्ग का एजेंडा नहीं बदला है। कृषि व्यापार के उदारीकरण का कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र को इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के प्रभुत्व और लूट के लिए खोलना, यह उनके एजेंडे का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा बना हुआ है।

पिछले 11 महीनों के दौरान जो कुछ भी हुआ है उससे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि किसानों के सभी कृषि उत्पादों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर या उससे ज्यादा क़ीमत पर, गारंटीकृत ख़रीद की मांग को पूरा करने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है। इस मामले की जांच करने और कुछ प्रस्ताव बनाने के लिये, एक ऐसी समिति के गठन में ही लगभग पूरा साल लग गया है, जिसके दिये गये प्रस्तावों पर सरकार फ़ैसला करेगी कि वे प्रस्ताव लागू करने लायक हैं या नहीं। यह इस हक़ीक़त की एक बार फिर पुष्टि करता है कि कृषि के प्रति सरकार की नीति की दिशा और उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

एम.एस.पी. या इससे ज्यादा क़ीमत पर, सभी फ़सलों की गारंटीशुदा ख़रीद करने की किसानों की मांग को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार की न तो रुचि है और न ही उसकी क्षमता है। इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सार्वजनिक ख़रीद में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक ख़रीद की भूमिका बढ़ाना हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों, दोनों के हितों के बिल्कुल विपरीत है। ये इजारेदार पूंजीवादी लुटेरे, हिन्दोस्तान के कृषि क्षेत्र पर हावी होने और उसको लूटने के लिए बेताब हैं – दो शताब्दियों पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में कहीं अधिक तीव्रता से और उससे भी कहीं अधिक बड़े पैमाने पर।

तीन किसान विरोधी क़ानूनों को निरस्त करने का फ़ैसला, वास्तव में शासक वर्ग की एक धूर्त चाल थी। यह पंजाब में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के अभियानों की शुरुआत के समय जानबूझकर, लिया गया एक क़दम था। केंद्र सरकार की योजना यह थी कि पंजाब के किसानों के बीच सक्रिय बड़े संचालकों को तीन क़ानूनों को रद्द करके शांत कर दिया जाएगा और किसान यूनियनों का एक हिस्सा चुनावी राजनीति में आ जाएगा, जिससे किसानों के बीच फूट पड़ेगी और बंटवारा हो जाएगा।

जबकि किसानों ने अपनी सामान्य तात्कालिक मांगों के इर्द–गिर्द अपने संघर्ष में एकता बनाई थी, वे अपने राजनीतिक उद्देश्य के बारे में एकजुट नहीं थे। नतीजतन, किसान आंदोलन अलग–अलग दिशाओं में खींच गया। यह पंजाब के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान स्पष्ट हो गया।

पूंजीवाद का विकल्प एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था है, जो पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हो। संसदीय लोकतंत्र का विकल्प आधुनिक श्रमजीवी लोकतंत्र है, जिसमें समाज में लागू होने वाले कानूनों और नीतियों को तय करने में मजदूरों और किसानों की भागीदारी होती है।

आगे का रास्ता

किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति की इच्छा से परे, इस समय किसान आन्दोलन के सामने दो अलग–अलग रास्ते हैं जिनके अनुसार किसान आंदोलन को आगे ले जाया जा सकता हैं। ये दो रास्ते एक दूसरे के बिलकुल विपरीत हैं। ये दो रास्ते, हिन्दोस्तान में दो प्रमुख वर्गों, पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के बीच कड़ी टक्कर के अनुरूप हैं।

पूंजीपति, किसानों के संघर्ष को भाजपा के ख़िलाफ़ संसदीय विरोध को और बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए, इस्तेमाल किए जाने वाले कारक के रूप में देखते हैं। दूसरी तरफ़ श्रमजीवी वर्ग, इजारेदार पूंजीपतियों के नेतृत्व वाले सरमायदारों के शासन को उखाड़ फेंकने के संघर्ष में, किसानों को अपना एक भावी क्रांतिकारी सहयोगी मानता है।

पूंजीपतियों की पार्टियां यह भ्रम फैलाती हैं कि अगर चुनावी प्रक्रिया से भाजपा को हटा दिया जाए तो पूंजीवाद के लिए सभी किसानों को सुरक्षित आजीविका प्रदान करना संभव है। श्रमजीवी वर्ग की राजनीतिक पार्टी इस सच को स्पष्ट करती है कि पूंजीवाद आज अत्यधिक इजारेदारी के चरण में पहुंच गया है और यह किसानों व अन्य सभी छोटी संपत्ति के मालिकों को अनिवार्य रूप से नष्ट कर देगा।

पूंजीपति इस झूठ का प्रचार करते हैं कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है और संसदीय लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था से बेहतर कुछ भी संभव नहीं है। इस झूठ का खंडन करना हम, कम्युनिस्टों और सभी प्रगतिशील ताक़तों की ज़िम्मेदारी है। हमें इस पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प सामने रखना होगा और उसके इर्द–गिर्द सभी लोगो की राजनीतिक एकता बनानी होगी।

पूंजीवाद का विकल्प है एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था, जो पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर होगी। संसदीय लोकतंत्र का विकल्प आधुनिक श्रमजीवी वर्ग का लोकतंत्र है, जिसमें समाज में लागू होने वाले क़ानूनों और नीतियों को तय करने में मज़दूरों और किसानों की भागीदारी होती है।

मज़दूरों और किसानों के शासन के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें सभी खाद्य फ़सलों के साथ–साथ, गैर–खाद्य फ़सलों को शामिल करते हुए, एक सार्वजनिक ख़रीद प्रणाली बनाने की ज़िम्मेदारी लेंगी। मज़दूरों और किसानों का राज्य, विदेशी व्यापार और थोक घरेलू व्यापार में निजी मुनाफ़ाख़ोरों की भूमिका को समाप्त करके, कृषि की लागत वस्तुओं की सही मूल्यों पर विश्वसनीय आपूर्ति की गारंटी देगा। सार्वजनिक संस्थान कृषि उत्पादों के प्रमुख हिस्से को पूर्व–घोषित लाभकारी क़ीमतों पर ख़रीद करेंगे। सार्वजनिक ख़रीद प्रणाली को एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा जो समाज के सभी लोगों के लिए सस्ती क़ीमतों पर, उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बनाई जायेगी।

कृषि का संकट तब तक नहीं सुलझेगा, जब तक राज्य तंत्र का नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथों में है और वे चुनावों का इस्तेमाल करके अपनी इस या उस विश्वसनीय पार्टी को सत्ता में सरकार बनाने के लिये सक्षम बनाते हैं। इसलिए अपनी तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष करते हुए, मज़दूरों और किसानों को हिन्दोस्तान के भविष्य को अपने हाथों में लेने में सक्षम एक राजनीतिक ताक़त बनना होगा। मज़दूरों और किसानों का राज ही कृषि और पूरे समाज को संकट से उबारने का रास्ता खोलेगा।

http://hindi.cgpi.org/22814

पंजाब के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया

हजारों किसान अपनी लंबित मांगों को पूरा नहीं किए जाने को लेकर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब के मानसा, बठिंडा, पटियाला, फरीदकोट, मुकेरियां और अमृतसर में राजमार्गों को बंद कर दिया और उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यालयों में धरना प्रदर्शन भी किया।

आंदोलनकारी किसानों ने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा व्यक्त किया, जो किसानों से बड़े–बड़े वादे करके सत्ता में आई थी लेकिन किसानों के सभी मामलों में विफल रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों की सेवा कर रही है। वे किसान आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। वे बे–मौसम बारिश से बर्बाद हुई

फ़सल और मवेशियों की बीमारी से हुई मौत के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसान यह भी मांग कर रहे हैं कि उनके भाइयों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले को रद्द किया जाना चाहिये और उनके राजस्व रिकॉर्ड में से धान की पराली जलाने के दंडात्मक मामलों को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें पराली प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने किसानों के विरोध की निंदा करने के लिए पंजाब सरकार की निंदा की है।

इन मांगों के समर्थन में बी.के.यू. (एकता–सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने फरीदकोट के तेहना में आमरण अनशन शुरू किया है। 18 नवंबर को मोहाली में हुई एक बैठक में, बी.के.यू. (लाखोवाल), क्रांतिकारी किसान यूनियन और बी.के.यू. (एकता–उग्राहां) सहित संयुक्त किसान मोर्चा के कई अन्य संगठनों के प्रधानों ने अपनी समान मांगों के समर्थन में चल रहे किसान संघर्ष में शामिल होने का फ़ैसला किया।

इसी दौरान उत्तर प्रदेश के किसान 26 नवंबर को लखनऊ में 'महापंचायत' का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब के किसानों के संघर्ष का समर्थन किया है।

http://hindi.cgpi.org/22809

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित मीटिंग :

किसान आंदोलन – चुनौतियां और आगे का रास्ता

लगभग दो साल पहले राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर, बड़े पैमाने पर आयोजित किये गये विरोध प्रदर्शन के लिये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों के किसान एक साथ आए थे। उनके संघर्ष को बदनाम करने की केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करने का हमारे बहादुर किसानों का दृढ़ संकल्प देश और दुनियाभर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में तीन किसान विरोधी क़ानूनों को वापस ले लिया और किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने का उन्हें आश्वासन भी दिया। हालांकि, एक साल बाद भी किसानों को दिए गए अधिकांश आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं। किसानों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने का संघर्ष जारी रखा है।

मज़दूर एकता कमेटी ने 17 नवंबर को 'किसान आंदोलन–चुनौतियां और आगे का रास्ता' विषय पर एक मीटिंग का आयोजन किया। इसमें आमंत्रित वक्ता थे – अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कॉमरेड हन्नान मोल्लाह; कामगार एकता कमेटी की संयुक्त सचिव डॉ. संजीवनी; आज़ाद किसान कमेटी, दोआबा (पंजाब) के अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह संघा; अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड कृष्णा भोयर; और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. बी. सेठ। हिन्दोस्तान तथा विदेश के विभिन्न हिस्सों के मज़दूरों, किसानों और महिला कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक इस मीटिंग में भाग लिया और अपने अनुभवों से चर्चा को समृद्ध किया। संतोष कुमार ने इस मीटिंग का संचालन किया।

कॉमरेड हन्नान मोल्लाह ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मीटिंग आयोजित करने के लिए मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) को बधाई दी। उन्होंने हिन्दोस्तान में किसानों के संघर्षों के विभिन्न चरणों का वर्णन पेश किया जैसे कि उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के समय से लेकर वर्तमान तक। उन्होंने किसानों की भूमिहीनता और जमींदारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ हुये किसानों के संघर्षों का वर्णन भी प्रस्तुत किया।

कॉमरेड हन्नान मोल्लाह ने बताया कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ, किसानों के संघर्ष ने भूमि के लिए और सामंती व आर्थिक शोषण के ख़िलाफ़ एक अधिक मजबूत, संगठित और अखिल भारतीय चरित्र हासिल किया। किसानों के ऊपर असहनीय कर्ज़े के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र के वरली में आदिवासी किसानों का संघर्ष, बंगाल और पूर्वी बिहार में तेभागा संघर्ष, तेलंगाना में किसानों के ऐतिहासिक संघर्ष सहित पंजाब, केरल, असम और कई अन्य क्षेत्रों में हुये किसानों के संघर्षों जैसे कई और संघर्षों के उदाहरण उन्होंने दिए।

कॉमरेड हन्नान मोल्लाह ने बताया कि 90 के दशक में, विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों को अपनाने से विश्व बाज़ार के साथ हिन्दोस्तान के कृषि क्षेत्र का एकीकरण बढ़ रहा है और कृषि का संकट बाकायदा और भी अधिक गहरा होता जा रहा है।

किसान आंदोलन के वर्तमान चरण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि अपनी फ़सल के लिए उचित मूल्य की मांग कर रहे, मध्य प्रदेश में मंदसौर के किसानों पर 2017 में हुई फायरिंग और उनकी हत्या ने संघर्ष को एक नयी शक्ति और प्रेरणा प्रदान की। मोदी सरकार ने तीन किसान विरोधी क़ानूनों को 2020 में ऐसे समय पर संसद में पारित किया, जब कोविड–19 महामारी के कारण सभी लोगों के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। देशभर के लगभग 500 किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) के बैनर तले अपनी सांझी मांगों को लेकर संघर्ष में एक साथ आए। दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करते हुये, किसानों का बहादुर संघर्ष, जो एक कि वर्ष से भी अधिक समय तक चला, यह दुनिया के इतिहास में एक अभूतपूर्व मिसाल था। इस संघर्ष ने मोदी सरकार को तीन किसान विरोधी क़ानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन विरोध संघर्ष को ख़त्म करने के लिए सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए यह संघर्ष अभी भी जारी है, कॉमरेड हन्नान मोल्लाह ने अपने वक्तव्य के अंत में कहा।

डॉ. संजीवनी ने किसान आंदोलन से सीखे गए महत्वपूर्ण सबकों की ओर इशारा किया – जैसे कि संघर्ष में लोगों की एकता, दृढ़ संकल्प और संगठन के ज़रिये सुनियोजित तरीक़े से संचालित किया गया विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया के सभी संघर्षरत लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उन्होंने बताया कि कृषि और पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़े हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों का वर्चस्व है, जो कृषि संकट के साथ–साथ मज़दूरों की रोज़ी–रोटी की असुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं। मज़दूरों और किसानों का दुश्मन एक ही है। वह है हमारे देश के असली शासक टाटा, अंबानी आदि बड़े इजारेदार पूंजीवादी घराने। उन्होंने समझाया कि ये इजारेदार पूंजीवादी घराने शासक बने रहेंगे और पूरे समाज के लिए एजेंडा तय करते रहेंगे, भले ही चुनाव के बाद सरकार में एक राजनीतिक पार्टी के बदले कोई और पार्टी आ जाए।

डॉ. संजीवनी ने बिजली संशोधन विधेयक का उदाहरण पेश किया। जिसके ख़िलाफ़ हो रहे विरोध संघर्षों में लाखों बिजली मज़दूर शामिल हैं। इस विधेयक को इसलिये लाया गया है कि बड़े कॉरपोरेट घराने राज्य बिजली बोर्डों के ज़रिये स्थापित संसाधनों को कौड़ियों के दाम पर ख़रीद सकें ताकि उनके लिये बेहिसाब मुनाफ़ा हासिल करना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इतने जबरदस्त विरोध के बावजूद सरकार विधेयक को वापस लेने से इनकार कर रही है, यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस विधेयक को लोगों के हित में नहीं, बल्कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हित में बनाया गया है। उन्होंने आगे के रास्ते का उल्लेख करते हुए कहा कि पूंजीपतियों के एजेंडे के बजाय, जनता के एजेंडे को लागू करने के नज़रिए के साथ, मज़दूरों और किसानों को एकजुट होकर अपनी तात्कालिक मांगों के लिए संघर्ष करना होगा।

श्री हरपाल सिंह संघा ने कहा कि तीनों किसान विरोधी क़ानूनों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करने में किसान आंदोलन सफल रहा। उनके संगठन ने दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के लिए किसानों को लामबंध किया और इस बहादुर संघर्ष के साथ अंत तक बने रहे। उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों में किसानों के एकजुट संघर्ष और युवाओं की जुझारू भूमिका के बारे में बताया।

किसान आंदोलन के नेतृत्व को बंटा हुआ होने को लेकर मीडिया में प्रचलित तरह–तरह के ग़लत विचारों का उन्होंने खंडन किया। श्री संघा ने बताया कि हमारी सभी मांगों के लिए, जैसे कि किसानों को एम.एस.पी. की गारंटी हो, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के दोषियों को सज़ा दी जाये, आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवज़ा दिया जाये, पराली–प्रबंधन के लिए सरकारी सहायता मिले, फ़सल ख़राब होने पर और पालतू जानवरों की बीमारी के लिए मुआवज़ा मिले, आदि मांगों के लिये हमारा एकजुट संघर्ष अभी भी जारी है।

कॉमरेड कृष्णा भोयर ने कहा कि अपनी मांगों के इर्द–गिर्द सभी किसान संगठनों की बनी दृढ़ एकता ही किसान आन्दोलन की ताक़त थी। उन्होंने इस समय चल रहे उस संघर्ष पर भी प्रकाश डाला, जिसके द्वारा बिजली मज़दूर बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द करने के लिए सरकार को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ मुंबई के लोगों के अपने नकारात्मक अनुभव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि बिजली आपूर्ति को मुनाफ़ा बनाने के स्रोत के रूप में नहीं देखा जा सकता है। विधेयक के आने से किसानों और मज़दूरों पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह विधेयक राज्य बिजली बोर्डों को ख़त्म कर देगा और उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को बढ़ा देगा। कॉमरेड भोयर ने मीटिंग में शामिल सभी भागीदारों से आह्वान किया कि सभी लोग 23 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली बिजली मज़दूरों की अखिल भारतीय रैली में शामिल हों और बिजली मज़दूरों के संघर्ष को अपना समर्थन दें।

डॉ. बी. सेठ ने स्पष्ट किया कि किसान आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि कई क्षेत्रों में किसानों द्वारा किये जा रहे संघर्ष इसका प्रमाण है। रेल रोको आंदोलन और पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव तथा आज़मगढ़ में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उनकी भूमि के अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किये गये संघर्ष और अपनी अन्य मांगों को लेकर किसानों द्वारा किये जा रहे संघर्षों के बारे में डॉ. सेठ ने विस्तार में बताया। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन वापस लेने के समय सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। यह कहा जा रहा है कि चुनावों के माध्यम से सत्ता में सरकार बदलने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस दावे का खंडन करते हुए, डॉ. सेठ ने कहा कि बड़े कॉर्पोरेट घराने हमेशा उस राजनीतिक पार्टी की चुनावी जीत सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं जो कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक सक्षम है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर लोगों के नियंत्रण के सपने को साकार करने के लिए एक नए तंत्र और एक नयी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि लोगों का अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें वापस बुलाने का अधिकार।

मुख्य वक्ताओं की प्रस्तुतियों के बाद, कई भागीदारों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार रखे।

संतोष कुमार ने चर्चा का समापन करते हुए सभी वक्ताओं और सभी भगीदारों को धन्यवाद दिया। कई वक्ताओं द्वारा उठाई गई इस सच्चाई पर संतोष कुमार ने एक बार फिर से ज़ोर दिया कि मज़दूरों और किसानों का एक सांझा एजेंडा है। उनका सांझा एजेंडा अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देना है, ताकि अधिक से अधिक निजी मुनाफ़े बनाने की पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के बजाय, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यह एजेंडा है समाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने और इसके वास्तविक मालिक बनने के लिए, मज़दूरों और किसानों को सशक्त बनाना।

http://hindi.cgpi.org/22792

किसान आंदोलन के सामने कुछ चुनौतियां

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध

(क़ीमत 25 रु. और डाक खर्च 20 रु.)

निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें

लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी, नई दिल्ली

खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :- ई-392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस-2, नई दिल्ली - 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Dec, 2022, Date of publish - 1 Dec, 2022

To .....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :

ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

मिज़ोरम में पत्थर की खदान ढहने से मज़दूरों की मौत

15 नवंबर को मिज़ोरम के हनाथियाल जिले में हुये भूस्खलन के कारण एक पत्थर की खदान के ढह जाने से आठ खनन मज़दूरों की मौत हो गई और कम से कम 12 लापता हो गए। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी खदान के ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

पत्थर की खदान का स्वामित्व ए.बी.सी.आई. इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो मिज़ोरम में हनाथियाल शहर और डॉन गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड को चौड़ा करने का काम कर रहा है। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र लगभग 5,000 वर्ग मीटर है। बचाव कार्य के लिए बी.एस.एफ. और एन.डी.आर.एफ. की टीमों को लगाया गया है।

इन खदानों में बिहार से आये मज़दूर काम करते थे। लापता हुए 12 में से चार ए.बी.सी.आई. के मज़दूर थे, जबकि आठ मज़दूर निजी ठेकेदार के लिए काम कर रहे थे।

खदान के पास रहने वाले लोगों और खदान में काम करने वाले मज़दूरों ने दावा किया है कि खदान बहुत गहरी खोदी गई थी और इस खुदाई ने मिट्टी की स्थिरता को बिगाड़ दिया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरी पहाड़ी उन पर ढह गई।

निजी पूंजीपतियों के अधिक मुनाफ़े बनाने की लालच के कारण होने वाली अनगिनत दुर्घटनाओं में से यह भी एक है। मुनाफ़े बनाने की लालच के कारण निजी पूंजीवादी कंपनियों द्वारा मज़दूरों और आसपास के वातावरण की सुरक्षा को पूरी तरह से नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है। राज्य पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता है, इसलिये वो इस तरह के अपराधों से बच जाते हैं। जबकि मज़दूरों के पास ऐसी दुर्घटनाओं के ख़िलाफ़ क़ानूनी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं हैं।

http://hindi.cgpi.org/22790

दिल्ली की नर्सों का संघर्ष

दिल्ली नर्सेज़ फेडरेशन (डी.एन.एफ.) के बैनर तले सैकड़ों नर्सों ने अपनी नौकरियों के नियमितीकरण और लंबित पदोन्नति की मांग को लेकर 4, 5 और 6 नवंबर को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हड़ताल की। डी.एन.एफ. ने यह भी घोषणा की है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे 16 नवंबर को सामूहिक रूप से आकस्मिक अवकाश पर चले जाएंगे तथा 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

दिल्ली के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों – एल.एन.जे.पी. अस्पताल, जी.बी. पंत अस्पताल, डी.डी.यू. अस्पताल, जी.टी.बी. अस्पताल, डॉ. बी.एस.ए. अस्पताल, डॉ. हेडगेवार अस्पताल, एस.जी.एम. अस्पताल तथ अन्य अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।

हड़ताल करने वाले नर्सों ने शिकायत की है कि वर्तमान में 8,000 स्वीकृत पदों के लिए केवल 6,000 नर्सें हैं। तीन नए अस्पताल बनाये गए हैं और अन्य सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को वहां भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिस्तर तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव पर नर्सों की समस्याओं के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाते हुए इनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की।

इससे पहले, डी.एन.एफ. ने नौकरियों के नियमितीकरण, लंबे समय से लंबित पदोन्नति और नए पदों के सृजन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए दिल्ली सचिवालय तक एक जुलूस निकाला था।

http://hindi.cgpi.org/22778

आंगनवाड़ी मज़दूरों ने अपना संघर्ष तेज़ किया

दिल्ली में कुछ महीने पहले नौकरी से निकाली गई आंगनवाड़ी की 800 मज़दूरों ने अपनी बहाली के लिए संघर्ष तेज़ कर दिया है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिये यूनियन द्वारा आयोजित की गई कार्रवाइयों में भाग लेने के कारण इन मज़दूरों को बर्ख़ास्त कर दिया गया था।

मज़दूरों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को और दिल्ली नगर निगम में सत्ता संभाल रही भाजपा पर मज़दूरों की किसी भी मांग पर ध्यान न देने के लिए और झूठे वादे करने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया है। मज़दूरों की मांगों में शामिल है – अनुचित रूप से बर्ख़ास्त किए गए मज़दूरों की बहाली की जाये, उचित वेतन दिया जाये, स्वास्थ्य सेवा के साधन उपलब्ध कराये जायें, ग्रेच्यूटी दी जाये, आदि।

दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले इन आंगनवाड़ी मज़दूरों ने 4 नवंबर को एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के ज़रिये ये मज़दूर दिल्ली नगर निगम के आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। आंगनबाड़ी मज़दूरों ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के पास प्रदर्शन और रैली करके अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के पोस्टरों और बैनरों को जलाकर अपने गुस्से को प्रकट किया। यूनियन ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी के 22,000 मज़दूर, भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रचार करने से उन इलाकों में सक्रिय रूप से रोकेंगे, जहां ये मज़दूर रहते हैं या काम करते हैं।

http://hindi.cgpi.org/22776

बिजली मज़दूरों और इंजीनियरों का विशाल विरोध प्रदर्शन

पृष्ठ 3 का शेष

रैली को संबोधित करने वाले एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. के अन्य पदाधिकारियों में शामिल थे – प्रशांत चौधरी, मोहन शर्मा, समर सिन्हा, आर.के. त्रिवेदी, पी. रत्नाकर राव, अभिमन्यु धनखड़ और अन्य वक्ता शामिल थे। अलग–अलग राज्यों के बिजली मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने भी मंच से बातें रखीं। उन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में संघर्ष के अनुभव का वर्णन किया और पूरे देश के मज़दूरों की इस विशाल एकताबद्ध प्रदर्शन की सराहना की।

सभी वक्ताओं ने इस तथ्य पर ज़ोर दिया कि बिजली एक मौलिक अधिकार है और एक सर्वव्यापी मानवीय ज़रूरत है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह देश के सभी हिस्सों में, सभी लोगों को उचित दरों पर पर्याप्त बिजली प्रदान करे। बिजली को टाटा, अंबानी और अन्य बड़े इजारेदार कॉर्पोरेट घरानों के लिए निजी लाभ कमाने के स्रोत में नहीं बदला जा सकता। मज़दूरों, किसानों और बिजली के अन्य सभी उपभोक्ताओं पर, विधेयक से होने वाले विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने सरकार के अहंकार की निंदा की, जो बिजली कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देने से इनकार कर रही है। उन्होंने जंतर–मंतर पर एकत्र हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करें, ताकि सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़े।

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन में भाग लिया और बिजली कर्मचारियों के संघर्ष को हार्दिक समर्थन व्यक्त किया। इस अवसर पर एम.ई.सी. द्वारा जारी किये गये एक बयान की प्रतियां बड़े पैमाने पर वितरित की गईं।

http://hindi.cgpi.org/22794

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।